प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज-दिनांक- फरवरी 11,2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 154 वाहनों का चालान, 14 वाहनों से कुल 10500/-रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए **कुल-07** अभि0गण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे **से 35 ली0 कच्ची व 172 शीशी नेपाली शराब** बरामद की गयी।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तागण 1.सुन्दरी पत्नी रामखोजन नि0 जंगल गुलहरिया थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 23/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

2.सुमित्रा पत्नी रामअचल नि0 ढेवा थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 24/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.अज्ञात के कब्जे से 120 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 59/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

2.छिसियावन पुत्र पड़ोही नि0 बसहाउक अहिरौली थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 60/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

3.उमेश पुत्र छेदी नि0 लेढी थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 61/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता इसरावती पत्नी फौरोली नि0 सेमरहवा थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 05 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 28/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रामलगन पुत्र स्व0 मोहन नि0 सिसवनिया थाना परसामलिक जनपद महराजगंज के कब्जे से 22 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 15/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता राममती पत्नी हरमुन नि0 दुर्गापुर थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 43/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-11 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 10/11-02-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 24 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।